राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं राज. जयपुर
क्रमांक :– ई–18/एम/परिवीक्षा/जोन–भरतपुर/2023/676 दिनांक : 15/09/23

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री पवन कुमार, कनिष्ठ सहायक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, शहीद राधवेन्द्र परिहार राजकीय, उपजिला चिकित्सालय राजाखेडा धौलपुर, जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 11.01.2021 है तथा दिनांक 10.01.2023 को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है का दिनांक 11.01.2023 से रूपये 20800 (लेवल–5) पर वेतन नियतन करते हुए इन्हें कनिष्ठ सहायक के पद पर एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है। इनके द्वारा आरएससीआईटी कम्प्यूटर योग्यता दिनांक 16.10.2022 व टंकण परीक्षा दिनांक 17.03.2023 को उत्तीर्ण करली गई है।

उक्त कर्मचारी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से वार्षिक वेतन वृद्वि का नगद लाभ देय होगा एवं टंकण परीक्षा उर्त्तीण करने से पूर्व वार्षिक वेतन वृद्वि का नोशनल लाभ देय होगा।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– ई–18/एम/परिवीक्षा/जोन–भरतपुर/2023/676 दिनांक : 15/09/23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. श्री पवन कुमार, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

Document certified by SURESH NAWAL <add4ng@gmail.com>
Digitally Signed by Suresh Kumar Naval
Designation : Director

RajKaj Ref No. : 4647744
V:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intra...